झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

सं०सं० –परि ०आ०-349/2015 981 राँची,दिनांक- 18/7/17

अधिसूचना

राज्य अंतर्गत प्रखंडों/अनुमंडलों से गांवों को जोड़ने वाले ग्रामीण मार्गों पर बस सेवा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु परिवहन विभाग द्वारा ग्रामीण बस सेवा की शुरुआत की गई है|

अत: झारखण्ड राज्य में ग्रामीण बस सेवा के सफल एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु वाहनस्वामियों को प्रोत्साहित करने एवं आमजन को सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है–

2. स्टैंड अप इंडिया के तहत ग्रामीण बस सेवा संचालन हेतु निम्न प्रावधान किए जाएंगे:-
   a. स्टैंड अप इंडिया के तहत ग्रामीण बस सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी| इस हेतु बैंकों को निदेशित किया जाएगा|
   b. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /महिलाओं को ग्रामीण बस सेवा संचालन हेतु सुलभ ऋण उपलब्ध कराया जाएगा|
   c. आवेदक द्वारा समय पर ऋण चुकाए जाने की स्थिति में सरकार द्वारा ब्याज़ पर छूट दिया जाएगा|

3. ग्रामीण बस सेवा के मार्ग में आने वाले स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी| यदि स्थानीय निवासी उपलब्ध नहीं होंगे, तो अन्य आवेदकों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी|

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(ब्रजेन्द्र हेमरोम)

सरकार के उप सचिव

परिवहन विभाग

ज्ञापांक – परि० आ०- 349/2015- 981 राँची, दिनांक – 18/7/17

प्रतिलिपि : उपाधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचित करने हेतु प्रकाशनार्थ प्रेषित | अनुरोध है कि

प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की पांच सौ प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय |

18/7/17

सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग

ज्ञापांक – परि० आ०- 349/2015- 981 राँची, दिनांक – 18/7/17

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव /मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव /मुख्य सचिव , झारखण्ड /सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड /सभी प्रधान सचिव / सचिव/ विभागाध्यक्ष, झारखण्ड /सभी प्रमंडलीय आयुक्त /सभी उपायुक्त/ सभी वरीय आरक्षी अधीक्षक/आरक्षी अधीक्षक /संयुक्त परिवहन आयुक्त ,झारखण्ड / सभी उप परिवहन आयुक्त-सह – सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड /परिवहन आयुक्त के सचिव /सभी जिला परिवहन पदाधिकारी ,झारखण्ड /सभी मोटरयान निरीक्षक,झारखण्ड/ सभी प्रवर्तन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी प्रवर्तन निरीक्षक,झारखण्ड/अवर निरीक्षक, झारखण्ड /सभी यातायात पुलिस उपाधीक्षक, झारखण्ड/राज्य सूचना पदाधिकारी,एन.आई.सी., झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित |

18/7/17

सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग